

प्रेषक,
प्रेम नारायण,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3

दिनांक :: लखनऊ :: 06अप्रैल,2011

विषय :-वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुदान संख्या -18 के अधीन आयोजनागत / आयोजनेत्तर पक्ष के विभिन्न लेखा/उप लेखा शीर्षको, मानक मदों में विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-01/लेखा-अ/2011-12-नान प्लान, दिनांक 01-4-2011 के संदर्भ में तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011, के अनुक्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के आयोजनेत्तर /आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या-18 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग(सहकारिता) के लेखा शीर्षक '2425-सहकारिता-001-निदेशन तथा प्रशासन के अंतर्गत प्राविधानित मतदेय' मद की धनराशि रू0 1530437 हजार (रूपये एक अरब तिरपन करोड़ चार लाख सैंतिस हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 812937 हजार (रूपये इक्यासी करोड़ उन्तिस लाख सैंतिस हजार मात्र) तथा भारित मद में रू0 145474 हजार (रूपये चौदह करोड़ चौवन लाख चौहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष रूपये 100 हजार (रू0 एक लाख मात्र) जिसका कुल योग रू0 813037 हजार (रूपये इक्यासी करोड़ तीस लाख सैंतिस हजार मात्र) होता है, तथा आयोजनागत पक्ष में मतदेय की धनराशि रू0 506127 हजार (रूपये पचास करोड़ इकसठ लाख सत्ताइस हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 904 हजार (रूपये नौ लाख चार हजार मात्र) राजस्व लेखा के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय वित्त विभाग के संदर्भित कार्यालय

प्रभाती (कम्प्यू)
१२/४/११

ज्ञाप दिनांक 21-3-2011 में निहित प्राविधानों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिनके लिये स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा सक्षम प्राधिकारी/शासन की स्वीकृति के बिना उसे अन्य मदों पर कदापि व्यय नहीं किया जायेगा ।
- (2) इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है । जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा व्यय के स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, ऐसे मामलों में व्यय करने की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये ।
- (3) विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ यथा सम्भव एक बार में ही जारी की जाये, परन्तु स्वीकृति धनराशि के एकमुश्त आहरण की यथासम्भव अनुमति न दी जाये। छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था/किसान पेंशन तथा निराश्रित महिलाओं एवं विकलांगजनों के भरण-पोषण हेतु सहायता को छोड़कर अन्य योजनाओं में कोषागार से धनराशि का आहरण चार त्रैमासिक किश्तों में किया जायेगा ।
- (4) विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/विज्ञप्ति धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या बी-1-1307 /दस-2006-247/06, दिनांक 28-3-2006 में प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
- (5) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी, (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तों का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त-नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन को तुरन्त दें ।
- (7) आवंटन के सापेक्ष व्यय विवरण की मासिक सूचनाये वित्त नियंत्रक /लेखाधिकारी शासन को समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।
- (8) बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 की प्रक्रिया एकमुश्त प्राविधान के मामलों में अपनायी जाये ।
- (9) मित्तव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत कियेगये शासनादेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के लेखाशीर्षक "2425- सहकारिता -001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनागत/ आयोजनेत्तर " के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-901/ दस-2011- 231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011 में प्रदत्त प्राधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
विशेष सचिव ।

संख्या-824(1)/49-3-2011-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय निबन्धक,सहकारी समितियों, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 5- वेब मास्टर, कार्यालय निबन्धक,सहकारी समितियों, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 8- निजी सचिव,प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग,उ०प्र०शासन ।
- 9- सहकारिता अनुभाग-1
- 10- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,



(राकेश कुमार)
उप सचिव ।



